तारीख पेशी	बनाम हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री ..... श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

लक्ष्मण बनाम ग्यारसी लाल वगैरह

3.1.19 पत्रावली हेतु पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट उपस्थित। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र एक पक्षीय स्थगन आदेश निरस्त फरमाये जाने बाबत् व प्रार्थना पत्र प्रारंभिक आपत्ति पेश किया, जो शामिल पत्रावली हों। प्रति अभिभाषक उभयपक्ष को दी गई। अभिभाषक अपीलांट ने निवेदन किया कि अभिभाषक रेस्पोडेन्टस के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बहस नहीं सुनी जाकर अपील पर बहस सुनी जावें। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा धारा 5 मियाद अधिनियम व अपील में अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टस की बहस पर मनन किया गया एवं अपील व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू द्वारा दिनांक 07.11.2017 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को विवादित आराजी खसरा नम्बर 854 रकबा 0.61 हैक्टर वाकै ग्राम सावरदा तहसील मौजमाबाद में प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त, उपयोग उपभोग, आवागमन व कृषि कार्य में दखलंदाजी न स्वंय करे, न अन्य से करावे, न आराजी को किसी दीगर व्यक्ति को रहन, बय, मुन्तकिल, विक्रयादि नहीं करें तथा राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये हैं। अभिभाषक अपीलांट ने उक्त आदेश दिनांक 07.11.2017 की अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की हैं। चूँकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण वास्ते बहस हेतु नियत है। उक्त अन्तरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील न्यायालय हाजा में पोषणीय नही है तथा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं। न्यायहित में मान्नीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर के आदेश दिनांक 14.07.2010 बउनवानी हुकुम सिंह बनाम राज्य सरकार (आर.आर.टी. 2011 पेज 01) के न्यायिक दृष्टात को मध्यनजर रखते हुए एवं पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, हम अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र का 30 दिवस में उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर निर्णित करें।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को अभिभाषक अपीलांट के प्रस्तुत कथन एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए स्वीकार किया जाता हैं तथा अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

तत्पश्चात अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर उक्त आदेश से 30 दिवस में निस्तारण करें। तब तक विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड व मौके

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

55
1482/18/225

लक्ष्मण बनाम प्यारली लाल

तारीख पेशी	बनाम 2018/00148 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री हेमराज गुप्ता .... श्री एम.सी. अग्रवाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
लगातार	की यथास्थिति बनायी रखी जावे एवं विवादित आराजी को रहन, बय व मुन्तकिल नही करने उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण कर दिया जाता हैं तो उक्त आदेश निष्प्रभावी रहेगें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	